



फॉर्म III [विनियम 7 (1) D (d) देखें]
Form III [see Regulation 7 (1) D (d)]

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

(बीएस आई एल एलसीटी, नीदरलैंड्स द्वारा प्रमाणित)
(Accredited by Raad voor Accreditatie, Netherlands)

लाइसेंस सं. QSC/L- 7002553.2

Licence No. QSC/L- 7002553.2

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अन्तर्गत, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants to:

मे. महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
एक्जीक्यूटिव इंजिनियर का कार्यालय,
लक्ष्मीनगर, कम. नं. 6, गृह निर्माण भवन, कला नगर,
बोंदरा (पूर्व) मुंबई पिन 400 051

M/s Maharashtra Housing & Area Development Authority,
Material Testing Laboratory, Office of Executive
Engineer, Ground Floor, Room No. 6, 'Grih Nirman'
Bhavan, Kala Nagar, Bandra (East)
Mumbai - 400 051

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगे अनुसूची में विरोध रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्ट्रारों में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रिया लाइसेंसधारी द्वारा आई एस/ आई एस ओ 9001: 2008 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पते) पर निर्मित/प्रदान/प्रचलित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2008.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संघट्ट प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एलएलसीटी को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिमान पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licensees referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 31 मार्च 2010 से 30 मार्च 2013 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।
This licence shall be valid from 31/03/2010 to 30/03/2013 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

सन् 2010 के अप्रैल के त्रिंशवे दिन हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this Thirtieth Day of April 2010.

P. K. Kulkarni

उपमहानिदेशक (पश्चिम)
DEPUTY DIRECTOR GENERAL (WESTERN)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



लाइसेंस सं. क्यूएससी/एल- ७००२५५३.२ की अनुसूची
Schedule to Licence No. QSC/L- 7002553.2

नगरी - मे. महाराष्ट्र हाउसिंग और एरीया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, मुंबई
Issued to: M/s Maharashtra Housing & Area Development Authority, Mumbai.

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद/सेवाएँ/प्रक्रम जिनके संबंध में पत्र को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किया गया है :

Products/Services/Processes with respect to which the firm has been granted the licence for Quality Management Systems Certification:

*"Testing of Construction Materials and Issuing Test Certificates to Customers
Excluding Design and Development Activities."*

P. K. Kulkarni

उपमहानिदेशक (पश्चिम)
DEPUTY DIRECTOR GENERAL (WESTERN)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS